☏ / Fax- + 05966–220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

पत्रांकः– 3144 / 10सी0 दिनांकः 30 / 12 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– रा0 मा0 सं0 309 ए (रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला –अल्मोड़ा) के कि0मी0 170.00 से 206.00 तक मार्ग का दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं0– **FP/UK/Road/151120/2022**)

सन्दर्भः– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के RO File NO:BB/UCP/06/80/2022/ FC DATE- 08-12-2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 27.11.2025 को सम्पन्न हुई आर0ई0सी0 बैठक में विषयगत मार्ग के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या को न्यून किये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत वन संरक्षक अल्मोड़ा के अध्यक्षता में कमेटी गठित करने, प्रस्तावित सड़क की सही KML File, क्षेत्रफल गणना एवं सृजित रोजगार का विवरण परिवेश पोर्टल में अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः–

क्रं0 सं0	आपत्तियॉ	खण्ड द्वारा आपत्तियों का निराकरण
1	Committee noted that the observation of the REC in its meeting held on 27.10.2023 to minimize the numbers of trees to be felled has not been complied. Rather, the numbers of trees proposed for felling increased from 5981 trees to 7882 trees without giving cogent justification by the State Government and User Agency. In view of the above, REC decided to form a Committee under the chairmanship of the concerned Conservator of Forests (Territorial) along with concerned DFOs and the User Agency, who shall carry out joint inspection of the proposed diversion area (including the muck dumping area) to i) explore the possibility to reduce the numbers of trees to be affected, and ii) ascertain the exact number of trees to be affected in the proposed project.	मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या को न्यून करने की सम्भावना एवं मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की वास्तविक संख्या का पता लगाये जाने हेतु वन संरक्षक अल्मोड़ा की अध्यक्षता में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अल्मोड़ा, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम अल्मोड़ा एवं उपयोगकर्ता ऐंजेंसी के साथ एक समिति गठित की गयी है, जिसके अनुपालन में समिति द्वारा दिनांक 11.12.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सम्पूर्ण मार्ग के Hill Side व Valley Side में पेड़ों की संख्या लगभग समान है। मार्ग Single lane में पूर्व निर्मित है जिसके टू–लेन चौड़ीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग का Alignment एवं Design भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रांलय द्वारा स्वीकृत है। मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ो की गणना वनभूमि प्रस्ताव गठित करते समय लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी, तत्समय प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 5981 थी। मार्ग के Alignment में पड़ने वाले बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य का सही सीमांकन न होने के कारण बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य में वनभूमि प्रस्ताव में पूर्व से त्रुटिपूर्ण गणना के कारण वर्ष 2024 में सही सीमांकन के पश्चात् बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र व कुछ आरक्षित वन भूमि जो कि पूर्व गणना में Overlap हो गये थे में पुनः पेड़ों की गणना करवाये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों

		की संख्या – 7882 प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त मग डंम्पिग जोन मे भी पेड़ों की गणना करवायी गयी थी, चूंकि मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी। पेड़ों की गणना को काफी समय व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले भूमि का सीमांकन (Back Pillar) करवाकर पुनः पेड़ों की गणना करवायी गयी। पेड़ों की पुनः गणना करवाये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 8826 प्राप्त हुई है। मार्ग के टू–लेन चौड़ीकरण हेतु मार्ग के Design,Geometry व Stability को ध्यान में रखते हुए Hill side में 6.0 मी0 चौड़ाई में भूमि चिन्हित कर Alignment स्वीकृत करवाया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत मार्ग चौड़ीकरण हेतु 8826 पेड़ों का पातन किया जाना अतिआवश्यक है।
2	The User Agency shall upload the correct KML file and area calculation details of the proposed road on the PARIVESH portal.	KML file Correct कर अपलोड कर दी गयी है एवं प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाली भूमि का Area Calculation परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
3	Details of employment generated shall be provided on the PARIVESH portal.	सृजित रोजगार का विवरण परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना की पुनरीक्षित सूची 05 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। (सलंग्न)

अतः सादर अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

30/12/25

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांकः– 3144 / 10सी0 दिनांकः 30 / 12 / 2025

प्रतिलिपः– जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण (CALA) अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता षष्ठ्म रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

☏ /Fax- + 05966–220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

पत्रांकः– 3144 / 10सी0 दिनांकः 30 / 12 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– रा0 मा0 सं0 309 ए (रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला –अल्मोड़ा) के कि0मी0 170.00 से 206.00 तक मार्ग का दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं0– **FP/UK/Road/151120/2022**)

सन्दर्भः– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के RO File NO:BB/UCP/06/80/2022/ FC DATE- 08-12-2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 27.11.2025 को सम्पन्न हुई आर0ई0सी0 बैठक में विषयगत मार्ग के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या को न्यून किये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत वन संरक्षक अल्मोड़ा के अध्यक्षता में कमेटी गठित करने, प्रस्तावित सड़क की सही KML File, क्षेत्रफल गणना एवं सृजित रोजगार का विवरण परिवेश पोर्टल में अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः–

क्रं0 सं0	आपत्तियॉ	खण्ड द्वारा आपत्तियों का निराकरण
1	Committee noted that the observation of the REC in its meeting held on 27.10.2023 to minimize the numbers of trees to be felled has not been complied. Rather, the numbers of trees proposed for felling increased from 5981 trees to 7882 trees without giving cogent justification by the State Government and User Agency. In view of the above, REC decided to form a Committee under the chairmanship of the concerned Conservator of Forests (Territorial) along with concerned DFOs and the User Agency, who shall carry out joint inspection of the proposed diversion area (including the muck dumping area) to i) explore the possibility to reduce the numbers of trees to be affected, and ii) ascertain the exact number of trees to be affected in the proposed project.	मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या को न्यून करने की सम्भावना एवं मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की वास्तविक संख्या का पता लगाये जाने हेतु वन संरक्षक अल्मोड़ा की अध्यक्षता में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अल्मोड़ा, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम अल्मोड़ा एवं उपयोगकर्ता ऐंजेंसी के साथ एक समिति गठित की गयी है, जिसके अनुपालन में समिति द्वारा दिनांक 11.12.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सम्पूर्ण मार्ग के Hill Side व Valley Side में पेड़ों की संख्या लगभग समान है। मार्ग Single lane में पूर्व निर्मित है जिसके टू–लेन चौड़ीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग का Alignment एवं Design भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रांलय द्वारा स्वीकृत है। मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ो की गणना वनभूमि प्रस्ताव गठित करते समय लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी, तत्समय प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 5981 थी। मार्ग के Alignment में पड़ने वाले बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य का सही सीमांकन न होने के कारण बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य में वनभूमि प्रस्ताव में पूर्व से त्रुटिपूर्ण गणना के कारण वर्ष 2024 में सही सीमांकन के पश्चात् बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र व कुछ आरक्षित वन भूमि जो कि पूर्व गणना में Overlap हो गये थे में पुनः पेड़ों की गणना करवाये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों

		की संख्या – 7882 प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त मग डंम्पिग जोन मे भी पेड़ों की गणना करवायी गयी थी, चूंकि मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी। पेड़ों की गणना को काफी समय व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले भूमि का सीमांकन (Back Pillar) करवाकर पुनः पेड़ों की गणना करवायी गयी। पेड़ों की पुनः गणना करवाये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 8826 प्राप्त हुई है। मार्ग के टू–लेन चौड़ीकरण हेतु मार्ग के Design,Geometry व Stability को ध्यान में रखते हुए Hill side में 6.0 मी0 चौड़ाई में भूमि चिन्हित कर Alignment स्वीकृत करवाया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत मार्ग चौड़ीकरण हेतु 8826 पेड़ों का पातन किया जाना अतिआवश्यक है।
2	The User Agency shall upload the correct KML file and area calculation details of the proposed road on the PARIVESH portal.	KML file Correct कर अपलोड कर दी गयी है एवं प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाली भूमि का Area Calculation परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
3	Details of employment generated shall be provided on the PARIVESH portal.	सृजित रोजगार का विवरण परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना की पुनरीक्षित सूची 05 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। (सलंग्न)

अतः सादर अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांकः– 3144 / 10सी0 दिनांकः 30/ 12/2025

प्रतिलिपः– जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण (CALA) अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता षष्ठ्म रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/12/25

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

☏ / Fax- + 05966–220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

पत्रांकः– 3144 / 10सी0 दिनांकः 30 / 12 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– रा0 मा0 सं0 309 ए (रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–चौकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला –अल्मोड़ा) के कि0मी0 170.00 से 206.00 तक मार्ग का दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं0– **FP/UK/Road/151120/2022**)

सन्दर्भः– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के RO File NO:BB/UCP/06/80/2022/ FC DATE- 08-12-2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 27.11.2025 को सम्पन्न हुई आर0ई0सी0 बैठक में विषयगत मार्ग के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या को न्यून किये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत वन संरक्षक अल्मोड़ा के अध्यक्षता में कमेटी गठित करने, प्रस्तावित सड़क की सही KML File, क्षेत्रफल गणना एवं सृजित रोजगार का विवरण परिवेश पोर्टल में अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः–

क्रं0 सं0	आपत्तियॉ	खण्ड द्वारा आपत्तियों का निराकरण
1	Committee noted that the observation of the REC in its meeting held on 27.10.2023 to minimize the numbers of trees to be felled has not been complied. Rather, the numbers of trees proposed for felling increased from 5981 trees to 7882 trees without giving cogent justification by the State Government and User Agency. In view of the above, REC decided to form a Committee under the chairmanship of the concerned Conservator of Forests (Territorial) along with concerned DFOs and the User Agency, who shall carry out joint inspection of the proposed diversion area (including the muck dumping area) to i) explore the possibility to reduce the numbers of trees to be affected, and ii) ascertain the exact number of trees to be affected in the proposed project.	मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या को न्यून करने की सम्भावना एवं मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की वास्तविक संख्या का पता लगाये जाने हेतु वन संरक्षक अल्मोड़ा की अध्यक्षता में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अल्मोड़ा, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम अल्मोड़ा एवं उपयोगकर्ता ऐंजेंसी के साथ एक समिति गठित की गयी है, जिसके अनुपालन में समिति द्वारा दिनांक 11.12.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सम्पूर्ण मार्ग के Hill Side व Valley Side में पेड़ों की संख्या लगभग समान है। मार्ग Single lane में पूर्व निर्मित है जिसके टू–लेन चौड़ीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग का Alignment एवं Design भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रांलय द्वारा स्वीकृत है। मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ो की गणना वनभूमि प्रस्ताव गठित करते समय लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी, तत्समय प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 5981 थी। मार्ग के Alignment में पड़ने वाले बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य का सही सीमांकन न होने के कारण बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य में वनभूमि प्रस्ताव में पूर्व से त्रुटिपूर्ण गणना के कारण वर्ष 2024 में सही सीमांकन के पश्चात् बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र व कुछ आरक्षित वन भूमि जो कि पूर्व गणना में Overlap हो गये थे में पुनः पेड़ों की गणना करवाये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों

		की संख्या – 7882 प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त मग डंम्पिग जोन मे भी पेड़ों की गणना करवायी गयी थी, चूंकि मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना लगभग 04 वर्ष पूर्व करवायी गयी थी। पेड़ों की गणना को काफी समय व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले भूमि का सीमांकन (Back Pillar) करवाकर पुनः पेड़ों की गणना करवायी गयी। पेड़ों की पुनः गणना करवाये जाने पर प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 8826 प्राप्त हुई है। मार्ग के टू–लेन चौड़ीकरण हेतु मार्ग के Design,Geometry व Stability को ध्यान में रखते हुए Hill side में 6.0 मी0 चौड़ाई में भूमि चिन्हित कर Alignment स्वीकृत करवाया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत मार्ग चौड़ीकरण हेतु 8826 पेड़ों का पातन किया जाना अतिआवश्यक है।
2	The User Agency shall upload the correct KML file and area calculation details of the proposed road on the PARIVESH portal.	KML file Correct कर अपलोड कर दी गयी है एवं प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाली भूमि का Area Calculation परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
3	Details of employment generated shall be provided on the PARIVESH portal.	सृजित रोजगार का विवरण परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना की पुनरीक्षित सूची 05 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। (सलंग्न)

अतः सादर अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांकः– 3144 / 10सी0 दिनांकः 30/ 12/2025

प्रतिलिपः– जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण (CALA) अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता षष्ठ्म रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।